

प्रेस नोट थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर दिनांक 15.08.2026

05 पेटी बटीं बबली देशी शराब, 02 पेटी किंग फिशर बियर के साथ 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक उरुवा बाजार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त सत्येन्द्र कुमार उर्फ राहुल पुत्र छोटे लाल बेलदार निवासी ग्राम नकौझा थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर के कब्जे से 05 पेटी अवैध देशी शराब, 05 पेटी किंग फिशर बियर बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0209/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सत्येन्द्र कुमार उर्फ राहुल पुत्र छोटे लाल बेलदार निवासी ग्राम नकौझा थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 0209/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर

बरामदगी का विवरण –

05 पेटी बटीं बबली देशी शराब, 02 पेटी किंग फिशर बियर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 सुधीर कुमार सिंह थाना उरुवा बाजार, गोरखपुर
2. कां0 देवानन्द चौधरी थाना उरुवा बाजार, गोरखपुर
3. कां0 मो0 मोबिन थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर
4. कां0 उत्कर्ष यादव थाना उरुवा बाजार, गोरखपुर